

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5093/2022

1. राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर, राजस्थान 302005 के माध्यम से।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), वन विभाग, राजस्थान सरकार, सरकारी सचिवालय, जयपुर। 302005

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. जेड.ए. खान पुत्र स्व. एस.ए. खान, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी चित्रकूट 10/62 वैशाली नगर, जयपुर (राज.)। आवेदक वन संरक्षक के पद पर कार्यरत है और वर्तमान में सीसीएफ (स्थापना), अरण्य भवन, जयपुर के रूप में तैनात है।
2. भारत संघ, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 110001 के माध्यम से।
3. भारत सरकार के अवर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, 6 वीं मंजिल, पृथ्वी विंग, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली - 110003।
4. संघ लोक सेवा आयोग, सचिव, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली 110001 के माध्यम से।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री विज्ञान शाह, एएजी के साथ श्री
यश जोशी और श्री संकल्प विजय

प्रतिवादी के लिए : श्री तनवीर अहमद

श्री चंद्र शेखर सिन्हा

श्री बृजेश कुमार गुप्ता

श्री राकेश धवन

श्री जैद उल हक

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

02/07/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 28.01.2022 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 (इसके बाद 'प्रतिवादी' के रूप में संदर्भित) भारतीय वन सेवा के सदस्य थे और प्रासंगिक समय पर मुख्य वन संरक्षक के रूप में कार्यरत थे। समीक्षा समिति की सिफारिश पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 16(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया। आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन (संक्षेप में 'ओए') दायर किया। विवादित आदेशके संचालन पर न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 25.09.2018 के आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई थी। ओए का जवाब प्रतिवादी द्वारा मई, 2019 में दायर किया गया था और उसके बाद

मंच की अनुपलब्धता और महामारी की स्थितियों के कारण, ओए को अंततः 28.01.2022 को तय किया गया था।

3. न्यायाधिकरण ने माना कि विवादित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है। हालांकि, यह मानते हुए कि अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता सेवा में बना रहा और निर्णय की तारीख को सेवानिवृत्ति में केवल चार दिन बचे थे, यह निष्कर्ष निकाला कि विवादित आदेश अप्रभावी हो गया है। प्रतिवादी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को वापस लेने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। निर्णय से व्यथित होकर, वर्तमान याचिका दायर की गई थी।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि न्यायाधिकरण ने एक ओर विवादित आदेश को बरकरार रखा और दूसरी ओर आदेश को वापस लेने के निर्देश जारी किए। उनका तर्क है कि आदेश को वापस लेने के लिए समीक्षा समिति का पुनर्गठन करना होगा।

5. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने विवादित आदेश का बचाव किया। उनका निवेदन है कि प्रतिवादी ने अपनी सेवाएँ दी हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, न्यायाधिकरण ने सही निष्कर्ष निकाला कि विवादित आदेश का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

6. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित होने के बावजूद याचिकाकर्ता न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 25.09.2018 के आदेश के माध्यम से दी गई निर्विवाद अंतरिम सुरक्षा के परिणामस्वरूप सेवा में बना रहा। ओए के निर्णय में प्रतिवादी द्वारा कोई देरी नहीं बताई गई है।

7. ओए के निर्णय की तारीख को, प्रतिवादी की सेवानिवृत्ति में केवल चार दिन बचे थे। प्रतिवादी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करके कथित तौर पर

'बेकार' कर्मचारियों को हटाने का इरादा समय बीतने के साथ अपना महत्व खो चुका था। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए एक अंतरिम आदेश के संचालन के कारण, प्रतिवादी ने सेवाएँ दीं और अंततः सेवानिवृत्त हो गए।

8. यह तर्क कि न्यायाधिकरण ने इसे बरकरार रखने के बावजूद अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को वापस लेने के निर्देश जारी करने में गलती की, गुण-दोष रहित है। न्यायाधिकरण के निर्देश इस कारण से समर्थित थे कि विवादित आदेशने अपनी उपयोगिता खो दी थी। दूसरे शब्दों में, समय बीतने के साथ विवादित आदेशनिष्क्रिय हो गया था।

9. यह शिकायत कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को वापस लेने के लिए न्यायाधिकरण के निर्देशों का मतलब समीक्षा समिति का पुनर्गठन करना होगा, विचार के योग्य है।

10. विवादित आदेश को वापस लेने के लिए न्यायाधिकरण के निर्देशों को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि आदेश समय बीतने के साथ अप्रभावी हो गया है।

11. रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मुद्दा अकादमिक हो गया क्योंकि ओए के लंबित रहने के दौरान एक निर्विवाद अंतरिम आदेश प्रभावी रहा और ओए के निर्णय में लगे समय के कारण।

12. रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

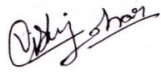
(आशुतोष कुमार),जे

(अवनीश झिंगन),जे

मोनिका/आरजू/47

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़